तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 13/2019 हीरासिंह बनाम जगतार सिंह अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्त.अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 17 पीएस के खाता सं. 67 मु.नं. 32 के पं.नं. 159/284 कि.नं. 1 में दो-दो बिस्वा रास्ता अपनी भूमि में आने जाने के लिए स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अपनी जोत में आने जाने के लिए कई विकल्प है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र महज मुझ अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज फरमाया जावे। मुताबिक रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक कीकरवाली के अनुसार चक 17 पीएस के पं.नं. 159/284 मु.नं. 32 के कि.नं. 2 ता 5 का 1.012 है0 नहरी रकबा हीरासिंह पुत्र दीवान सिंह कौम कम्बोज सिख साकिन 16 पीएस के नाम से खातेदारी है। चक 17 पीएस के पं.नं. 160/283 मु.नं. 21 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मु.नं. 31 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 0.025-0.025 है0 गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है तथा मौका पर चल रहा है। जो कि नक्शा में दर्शाया गया है। प्रार्थी इसी मंजूरशुदा रास्ता से अपने रकबा में जाने हेतु मुरब्बा नं. 32 के कि.नं. 1 में 0.025 है0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जो मौका पर चालू नही है। नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी को यही सबसे कम दुरी का रास्ता है। वर्तमान में प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नही है। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 17 पीएस के खाता सं. 67 मु. नं. 32 के पं.नं. 159/284 कि.नं. 1 मे दो बिस्वा गैर मुम. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते मे आई भूमि के बदले अप्रार्थी को रास्ते मे आई भूमि के डी.एल.सी. दर के 2 गुणा राशि का भुगतान करेगा। तहसीलदार राजस्व नियमानुसार राशि जमा कर अप्रार्थी को भुगतान करें। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुम. रास्ता का अमल दरामद करें। इसी आशय का आदेश तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर के नाम जारी हो। आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner